झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: आदेश ::

आदेश सं0–5/आरोप–1–106/2018 का०–7541/राँची, दिनांक 8 अक्टूबर, 2018

पुलिस अधीक्षक, सी0बी0आई0, ए0सी0बी0, धनबाद के पत्रांक–5167, दिनांक 03.08.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि देवघर भूमि घोटाला में आरोपी श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–841/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, देवघर, सम्प्रति–अवर सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड ने दिनांक 10.08.2018 को माननीय विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 धनबाद के समक्ष आत्मसमर्पण किया, जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने उसी दिन दिनांक 10.08.2018 को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

2. अतः श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–9(2)(क) के तहत् न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि दिनांक 10.08.2018 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री चौधरी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देगें।

4. निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–10 के तहत् जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

08/10/18

(अशोक कुमार खेतान)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 5/आरोप–1–106/2018 का०–7541/राँची, दिनांक 8 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपि– ~~नोडल~~ पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड का कोषांग/विभागीय अपर मुख्य सचिव कोषांग/अपर मुख्य सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, देवघर/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–5 एवं 6/श्री सिद्धार्थ शंकर चौधरी, झा0प्र0से0, द्वारा–अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/10/18

सरकार के संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner